

पश्चिम रेलवे

Western Railway

जन सूचना अधिकारी एवं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रे. सु. बल, अहमदाबाद

Public Information Officer & Sr. Divisional Security Commissioner, RPF/Ahmedabad

मंडल कार्यालय, जी सी एस हॉस्पिटल के सामने नरोडा रोड, अमदपुरा, अहमदाबाद- 382345

Sr. DSC/RPF/Office, Opp. GCS Hospita, Naroda Road, Amdupura, Ahmedabad-382345

Tele.No. 079-22201991

E-mail: srdscadi@gmail.com

संख्या-एडीजी 42/01/2026(RTI Act-2005)

दिनांक

24.04.2026

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम -2005 की धारा 4 (1) (b) के तहत जानकारी के संबंध में।

धारा	जानकारी का खुलासा किया जाना है	टिप्पणी /Remark
4(1)b(i)	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।	रेलवे सुरक्षा बल के लक्ष्य एवं उद्देश्य लक्ष्य-: रेलों को सौंपे गये माल तथा रेल सम्पत्ति, यात्री, व यात्री परिसर की सुरक्षा करेंगे। रेल यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे। उद्देश्य -: रेल सम्पत्ति यात्री व यात्री परिसर को बचाने में अपराधियों के विरुद्ध निरंतर संघर्ष जारी रखेंगे। यात्रियों की बेहतर संरक्षा एवं सुरक्षा के लिए असामाजिक तत्वों को रेल गाड़ियों एवं रेल परिसरों से हम दूर रखेंगे। भारतीय रेलों की छवि एवं कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए रेल के अन्य विभागों के साथ सहयोग करेंगे। राजकीय रेल पुलिस/स्थानीय पुलिस एवं रेल प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करेंगे। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आधुनिक संसाधनों एवं प्रबंध कौशल का प्रयोग करेंगे। महिलाये, बच्चो, एवं बुजुर्गों की सहायता करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम -:2003- धारा -11 में बल सदस्यों के कर्तव्य :- प्रत्येक उच्चाधिकारी व बल सदस्य का कर्तव्य होगा, (क) उन सभी आदेशों का तत्परता से निष्पादन करें जो उसको ऊपर वाले अधिकारी ने विधिपूर्वक दिए हो। (ख) रेल संपत्ति, यात्री एरिया एवं यात्रियों का बचाव व सुरक्षा करेंगे। (ग) रेलवे संपत्ति अथवा यात्री एरिया के याता यात मे आने वाली रुकावट को दूर करेंगे और (घ) कोई एस कार्य करें जो रेल संपत्ति , यात्री एरिया

		और यात्रियों के बेहतर बचाव और सुरक्षा में सहायक हो ।
4(1)b(ii)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य ।	रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 2003 :- धारा 12 बिना वारंट के गिरफ्तार का अधिकार :- कोई बल सदस्य किसी मेजिस्ट्रेट के आदेश व वारंट के निम्न लिखित को गिरफ्तार किया जा सकता है :- 1. कोई व्यक्ति जो जान बूझकर चोट पहुंचाता है या बल सदस्यों को कर्तव्य पालन में रुकावट की कोशिश करता है या हमला करता है या हमला करने की धमकी देता है या आपराधिक बल प्रयोग में लाता है या आपराधिक बल की धमकी देता है या प्रयोग की कोशिश करता है, स्वयं को य बल सदस्यों को, जो बल सदस्य के कर्तव्यों का पालन कर रहा है तथा बल सदस्य के पालन में रोक पैदा करता है, रोकने की कोशिश करता है या इसे कर्तव्य पालन से हटा देता है । जिससे कर्तव्य पालन नहीं हो पाता । 2. कोई व्यक्ति जो कि रेल सम्पत्ति, यात्री एरिया और यात्रियों संबंधी किसी ऐसे अपराध में शरीक रहा हो या जिसके विरुद्ध ऐसे अपराध में शरीक रहने का उचित सन्देह हो या ऐसी दशाओं से उपस्थिति को छिपाने का प्रयत्न कर रहा है कि जिससे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है की वह ऐसा रेलवे संपत्ति, यात्री एरिया और यात्रियों से संबंधित, हस्तक्षेप्य अपराध करने के उद्देश्य से ऐसा कर रहा या 3. किसी व्यक्ति को जो रेलवे सीमा के अंदर ऐसी दशाओं में अपनी उपस्थिति को छुपाने का प्रयत्न कर रहा है जिससे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न होता है कि यह रेल संपत्ति, यात्री एरिया और यात्री-सामान की चोरी या नुकसान पहुंचाने के अभिप्राय से ऐसा प्रयत्न कर रहा है, या 4. कोई व्यक्ति हस्तक्षेप्य अपराध करता है या उसकी कोशिश करता है जिससे किसी व्यक्ति के जीवन को भयंकर खतरा उत्पन्न हो जाता है या खतरा होने का अंदेशा हो जाता है, जो कि रेल संपत्ति यात्री एरिया या यात्रियों से सम्बन्धित कोई कार्य कर रहा है । धारा 13 बिना वारंट के तलाशी का अधिकार :- जब किसी बल सदस्य को जो हेड कॉन्स्टेबल के पद का न हो, यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 1 में उल्लेखित अपराध हुआ हो या होने की सम्भावना है और अपराधी के भाग जाने या साक्ष्य को छिपाने का अवसर दिये बिना तलाशी का वारंट प्राप्त नहीं हो सकता तो उसे यह अधिकार है कि वह उसे वही रोकें और उसके शरीर और सामान की तलाशी लें और उचित समझें तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करें जिसके संबंध में ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि उसने वैसा अपराध किया है । दण्ड

		प्रक्रिया संहिता 1973 के तलाशी सम्बन्धित आदेश जहां तक सम्भव हो उन तलाशियों पर भी लागू होंगे जो इस धारा के अनुसार की जाती है।
4(1)b(iii)	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	रेलवे बोर्ड के द्वारा समय समय पर जारी नीति, दिशानिर्देश, परिपत्र एसओपी आदि के अनुसार।
4(1)b(iv)	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदंड।	रेलवे बोर्ड के द्वारा समय समय पर जारी नीति, दिशानिर्देश, परिपत्र एसओपी आदि के अनुसार।
4(1)b(v)	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।	नियम -: RPF नियम 1987 विनियम, अनुदेश, निर्देशिका – रेलवे बोर्ड तथा मुख्यालय द्वारा समय समय पर जारी किए जाते हैं। अभिलेख-: मण्डल स्तर में घटित अपराध का अभिलेख मण्डल निरीक्षक कार्यालय में घटित अपराध का अभिलेख का रखा रखाव किया जाता है।
4(1)b(vi)	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।	मण्डल स्तर में घटित अपराध का अभिलेख मण्डल निरीक्षक कार्यालय में घटित अपराध RP(UP) Act एवं Railway Act, UTI, का अभिलेख का रखा रखाव किया जाता है।
4(1)b(vii)	किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं।	इस का निपटारा वाणिज्य विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है।
4(1)b(viii)	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण।	इस का निपटारा वाणिज्य विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है।
4(1)b(ix)	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।	टेलीफोन नम्बर के लिये यहाँ क्लिक करें।
4(1)b(x)	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रम, जिसके अंतर्गत प्रतिफल की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथोपबन्धित हो।	रेलवे बोर्ड एवं मुख्यालय के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है।
4(1)b(xi)	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अधिकरण	इस का निपटारा लेखा विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है।

	को आबंटित बजट ।	
4(1)b(xii)	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमे आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है ।	इस का निपटारा कार्मिक विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है ।
4(1)b(xiii)	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ ।	इस का निपटारा वाणिज्य विभाग द्वारा रेलवे बोर्ड के दिशा -निर्देशों के तहत किया जाता है ।
4(1)b(xiv)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचना के संबंध मे ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।	रेलवे सुरक्षा बल द्वारा किए गए अच्छे कार्य को सोशल मीडिया सेल द्वारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कू एवं यू ट्यूब के माध्यम से सोशियल मीडिया में प्रदर्शित किया जाता है ।
4(1)b(xv)	सूचन अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्य करण घण्टे सम्मिलित है ।	सुरक्षा विभाग से संबन्धित नहीं है ।
4(1)b(xvi)	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ ।	जन सूचना अधिकारी- श्री अंशुमन राम त्रिपाठी, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल अहमदाबाद –फोन नंबर -079-22205200
4(1)b(xvii)	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए ।	Click here for Western Railway website www.wr.indianrailways.gov.in

